No. 19030/3/2008-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.IV Branch
***

New Delhi dated the 24th January, 2011.

Office Memorandum

Subject: Travelling Allowance Rules- Implementation of the recommendations of the Sixth CPC.

The undersigned is directed to refer to this Department's OMs of even number dated 23.09.2008 and 08.06.2010 on the subject cited above and to say that references have been received whether the revised rates are to be reckoned from the place of origin or the destination for transportation of personal effects by road.

2. The matter has been considered in this Ministry and it is clarified that the higher rates of road mileage prescribed for 'X' and 'Y' class cities would be admissible for transfers within 'X' and 'Y' class cities; 'X' to 'Y' class cities and vice-versa; and from 'X'/'Y' class cities to 'Z' class cities and vice-versa. In all other cases of transfers within 'Z' class cities, the rates prescribed for 'Z' class cities shall be admissible.

(A. Bhattacharya)
Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments. of Govt. of India. etc.

Copy to:

i. All State Governments & Union Territories
ii. Governors of all States/Lt. Governors of UTs
iii. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control
iv. Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission, Central Vigilance Commission, Deptt. Of Personnel(AIS division), Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat, Commissioner Municipal Corporation of Delhi and
v. All Members of Staff side of the National Council of JCM.
vi. NIC Cell (M/o Finance) with the request that this OM may be placed on this Ministry's website.

संख्या 19030/3/2008– ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई.IV शाखा

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः यात्रा भत्ता नियम – छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 और 08.06.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं कि सड़क मार्ग से निजी सामान के परिवहन हेतु संशोधित दरों की गणना मूल स्थान पर की जानी है अथवा गंतव्य स्थल पर की जानी है।

2. मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि "एक्स" और "वाई" श्रेणी के शहरों में; "एक्स" से "वाई" श्रेणी के शहरों और "वाई" से "एक्स" श्रेणी के शहरों के लिए स्थानांतरण; और "एक्स"/"वाई" श्रेणी के शहरों से "जेड" श्रेणी के शहरों तथा "जेड" श्रेणी से "एक्स"/"वाई" श्रेणी के शहरों के लिए स्थानांतरण हेतु "एक्स" और "वाई" श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित सड़क भाड़े की उच्चतर दरें स्वीकार्य होंगी। "जेड" श्रेणी के शहरों में स्थानांतरण के अन्य सभी मामलों में "जेड" श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित दरें स्वीकार्य होंगी।

२४/१/११

(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

प्रतिलिपिः

i. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र।

ii. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप–राज्यपाल।

iii. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।

iv. संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग (एआईएस प्रभाग), लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, दिल्ली के नगर निगम आयुक्त और

v. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की स्टाफ साइड के सभी सदस्य।

vi. एनआईसी प्रकोष्ठ (वित्त मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर लोड किया जाए।